वित्तीय स्वीकृति

संख्य -8/भा0सा0 38/52-3-14-सा(39)/14

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -3, लखनऊ : दिनांक 5 सितम्बर, 2014

विषयः-भारत सरकार द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में धनराशि की स्वीकृति/व्यय करने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के 0-जी)आई 0157/52-1-14-1(137)/08टी0सी) दिनांक 10.6.2014 के अनुक्रम में तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 0-[illegible]-12/2/2014 [illegible]0[illegible]0 दिनांक 20.6.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरोक्त पत्र दिन 10.6.2014 द्वारा केन्द्रपुरोनिधानित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 4,78,47,41,000/- के सापेक्ष 0 1,19,61,85,250/-की धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन □□ □□□ □□□ □□□

2. भारत सरकार द्वारा शासनादेश 0--□□-12/2/2014□□0□□0 दिनांक 20.6.2014 द्वारा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति हेतु ₹0 70,81,27,000/- (रू0 सत्तर करोड़ इक्यासी लाख सत्ताइस ह मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी □□□□□, राज्य सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 10.6.2014 □□ □□□□□ अग्रिम रूप में स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 1,19,61,85,250/- से निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के संबंध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा -समय पर निर्गत □□□□□□□□/ दिशा निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के संबंध में जहा आवश्यक हो, व्यय होने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नही किया जायेगा। धनराशि भारत सरकार की व्यवस्थानुसार आॅन-लाइन वितरित की □□□□□

(4) जिन शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगता □□□□मितताओं की शिकायत हो, उनमें छात्रवृत्ति की अनियमितता की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उन शिक्षण संस्थाओं में अध्यनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान, छात्र/छात्राओं का सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि व

http://shasanadesh.up.nic.in

वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती , तो इसके लिए संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(5) छात्रवृत्ति वितरण में शासनादेश 0- □0□ □0-74/52-1-14 दिनांक 21.2.2014 तथा शासनादेश सं0 -जी)आई 085/52-1-14 दिनांक 25.2.2014 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित वि जायेगा ।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथ उपयोगिता प्रमाण पत्र माह फरवरी, 2015 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार
मिश्र)

संयुक्त सचि

संख्या -भा0स0 38(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3-मुख्य कोषाधिकारी, केसरबाग , लखनऊ ।

4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ /वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 ल□नऊ ।

5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 जवाहर भवन , लखनऊ ।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -1

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(vkj0 ,u0 f}oeh)

□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in